प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इकतीस'

प्रश्न सं. [क्र. 5170]

[21/3/2017]

परिशिष्ट 31

संचालनालय खेल और युवा कल्याण म. प्र.
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल

क्रमांक / 9201 / खे.यु.क. / 2016 भोपाल, दिनांक 19/12/2016

प्रति,

1/ समस्त कलेक्टर, म.प्र.
2/ समस्त पुलिस अधीक्षक, म.प्र.
3/ समस्त संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी, म.प्र.

विषय :– विधायक कप के आयोजन के संबंध में।

––00––

विभाग द्वारा खेल गतिविधियों के व्यापक प्रचार–प्रसार एवं खेलों में जन प्रतिनिधियों के माध्यम से युवाओं को सहभागी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 के माह जनवरी 2017 में दिनांक 05 से 25 जनवरी 2017 के मध्य प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में "विधायक कप" का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है।

विधायक कप के अन्तर्गत माननीय विधायक से सम्पर्क कर, कबड्डी, खो–खो, कुश्ती, बॉक्सिंग, हॉकी, जूडो, व्हालीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस एवं बास्केटबॉल में से जो भी खेल क्षेत्र में प्रचलित हो उनमें से 01 लोकप्रिय खेल का चयन कर प्रतियोगिता का आयोजन बालक एवं बालिका वर्ग में (आयु सीमा नहीं) किया जावे। बालक एवं बालिका वर्ग में पृथक–पृथक खेलों का आयोजन भी किया जा सकता है। उक्त खेलों में क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट का आयोजन नहीं किया जावे। बालक एवं बालिका वर्ग की प्रतियोगिता एक ही तिथि में आयोजित किये जाने का प्रयास किया जावे। उक्त प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान अर्जितकर्ता खिलाड़ी दल को ट्राफी प्रदान की जावे।

एकरूपता की दृष्टि से सम्पूर्ण प्रदेश में विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाली "विधायक कप" प्रतियोगिता के लिए प्रति विधान सभा क्षेत्र 03–03 ट्राफी (बालक एवं बालिका के लिये पृथक–पृथक) एक बैक ड्राप एवं 2 बैनर (फ्लेक्स), विजेता, उपविजेता एवं तृतीय स्थान को प्रमाण पत्र संचालनालय खेल और युवा कल्याण, म.प्र. द्वारा उपलब्ध कराये जाएगें।

DEPUTY SECRETARY
Government of Madhya Pradesh,
Sports & Youth Welfare Department

(3)

विधान सभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए विभाग द्वारा प्रति विधान सभा क्षेत्र रू. 55,000/– के मान से राशि पृथक से आवंटित की जा रही है। राशि के नियमानुसार उपयोग का दायित्व सबंधित जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी का रहेगा। इसके अतिरिक्त ट्राफी, बैकड्राप, बैनर एवं प्रमाण पत्र की व्यवस्था संचालनालय स्तर से की जावेगी।

किसी भी स्थिति में एक विधान सभा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का उपयोग जिले की किसी अन्य विधान सभा क्षेत्र की "विधायक कप" प्रतियोगिता के लिए नहीं किया जा सकेगा तथा आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।

अतः "विधायक कप" के आयोजन हेतु जिले के माननीय विधायक से सम्पर्क स्थापित कर खेल का चयन एवं अन्य व्यवस्थायें समयसीमा में सुनिश्चित की जावे एवं प्रगति से संचालनालय को भी अनिवार्य रूप से अवगत कराया जावे।

संचालक
खेल और युवा कल्याण
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/ 9262 /खे.यु.क./2016 भोपाल, दिनांक 19/12/2016

प्रतिलिपि :–

1/ निज सहायक, माननीया मंत्री जी, म.प्र.शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग,
2/ सचिव, म.प्र.शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल,
3/ जन सम्पर्क अधिकारी, संचालनालय, की ओर भेजकर, लेख है कि योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
4/ आई.टी.शाखा प्रभारी, की ओर विभागीय बेवसाईट पर अपलोड हेतु।
– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
खेल और युवा कल्याण
मध्यप्रदेश

DEPUTY SECRETARY
Government of Madhya Pradesh,
Sports & Youth Welfare Department